

रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का ग्रामीण विकास में योगदान (रीवा जिले के विशेष सन्दर्भ में)

दिलीप तिवारी*

सार

भारत प्रारंभ से ही ग्रामीण प्रधान देश रहा है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि देश की 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। जिससे देश या प्रदेश की सरकार का यह दायित्व होता है कि वह गांवों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करे। इस बात को ध्यान रखकर केन्द्र या राज्य सरकारें अपने प्रदेश के ग्रामीण विकास हेतु वहाँ के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार संवर्द्धन योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करती हैं। रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार संवर्द्धन योजनाओं के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया है ताकि उनके आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक स्थिति को सुधारकर ग्रामीण विकास में योगदान सुनिश्चित किया जा सके। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता को आंशिक रूप से हो रहा है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीणों की अज्ञानता तथा प्रचार-प्रसार में कमी देखा गया है। सरकार को यह चाहिए कि इन रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्रामीणों के बीच में अच्छी तरह से कराये ताकि इन योजनाओं से ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सके।

शब्दकोश: ग्रामीण विकास, ग्रामीण जनता, रोजगार संवर्द्धन योजना, समंक, प्रकाशित तथा अप्रकाशित लेखे।

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास का अर्थ गाँवों का आर्थिक सुधार करना तथा ग्रामीण समाज में बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाना होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगो का ही समग्र विकास कार्यक्रम चलाना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगो की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधारो को बेहतर तरीके से लागू करना तथा ऋण की आसान उपलब्धता करवाकर लोगो के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। प्रारंभ में ग्रामीण विकास के लिए मुख्य जोर कृषि, उद्योग, संचार शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित क्षेत्रों पर दिया गया था। बाद में यह समझने पर त्वरित विकास तभी संभव है जब सरकारी प्रयासों के साथ-साथ पर्याप्त रूप में जमीनी स्तर पर लोगो की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर नवयुवको के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बिना भारत विश्व आर्थिक विकास की दौड़ में अग्रणी नहीं हो पाएगा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन प्रणाली के प्रारंभ से ही भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को सदैव प्राथमिकता प्रदान की गयी है। विगत कई वर्षों से ग्रामीण विकास हेतु भारत सरकार व मध्यप्रदेश सरकार ने मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, कपिलधारा योजना, स्वजल धारा योजना, पंच परमेश्वर योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, अटल ज्योति अभियान योजना, ग्रामीण गोदान योजना, जननी सुरक्षा योजना, सायकल वितरण योजना, गाँव की बेटा योजना, प्रतिभा किरण योजना आदि योजनाएँ लागू की। इन योजनाओं ने मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

* शोधार्थी, शासकीय टाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।

प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का ग्रामीण विकास में योगदान पर अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोधकार्य से यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि रीवा जिले में चलायी जाने वाली रोजगार संवर्द्धन योजनाओं से ग्रामीण विकास संभव है कि नहीं। रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का प्रारंभ स्वतंत्रता के पश्चात शुरूआती दौर पर वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। सन 1972 में ग्रामीण रोजगार के लिए चंद योजना तथा 1974 में प्रादेशिक विकास दल योजना के द्वारा ग्रामीण युवकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार ने भी विभिन्न रोजगार संवर्द्धन योजनाओं जैसे:- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना आदि के द्वारा ग्रामीण नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सके।

शोध समीक्षा

सिंह राजवीर 2008 द्वारा, "गरीबी उन्मूलन के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का आर्थिक विश्लेषण में जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध कार्य किया गया जिसमें शोधार्थी द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं का आर्थिक अध्ययन किया।

प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2007 में प्रकाशित आर्थिक लेख "भारत में गरीबों, ग्रामीण और निर्बल वर्गों हेतु संचालित अभिनव कल्याणकारी योजनाएँ, में ग्रामीण विकास के लिए चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला है।"

राठी, किशनलाल 2001 द्वारा, "म.प्र. में नेहरू रोजगार योजना के हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन में शोध किया गया। प्रस्तुत शोध में नेहरू रोजगार योजना के हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन किया गया है।"

भदौरिया, सुनीति 2019 द्वारा, "रोजगार संवर्द्धन में स्वरोजगार योजनाओं की उपादेयता, ग्वालियर जिले के विशेष संदर्भ में किया गया प्रस्तुत शोध के अंतर्गत रोजगार संवर्द्धन योजना में स्वरोजगार की उपादेयता का अध्ययन किया गया है।

अग्रवाल, राजेश कुमार 2002 द्वारा, "मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के हितग्राहियों का आर्थिक अध्ययन किया गया है।"

शोध का उद्देश्य

- रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान स्थिति का पता लगाना।
- रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावना का पता लगाना।
- रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जाने वाली रोजगार संवर्द्धन योजनाओं से ग्रामीणवासियों को मिलने वाले आर्थिक लाभ का पता लगाना।
- रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चलायी जाने वाली रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का ग्रामीण विकास पर योगदान का पता लगाना।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

- मध्यप्रदेश के ग्रामीणवासियों को रोजगार संवर्द्धन योजना के बारे में जानकारी है।
- रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का लाभ रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों द्वारा लिया जा रहा है।
- रोजगार संवर्द्धन योजनाओं से रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों को आर्थिक लाभ हो रहा है।
- रोजगार संवर्द्धन योजनाओं से रीवा जिला के गाँवों का विकास संभव है।
- रोजगार संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए ऋण लेने में हितग्राहियों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य हेतु समंको का संकलन प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों से किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रामीण वासियों से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर व्यक्तिगत साक्षात्कार करके प्राथमिक समंक जुटाये गये हैं साथ ही जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा मध्यप्रदेश सरकार के जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रदान कराये गए पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित आकड़ों तथा बुलेटिन आदि द्वारा द्वितीयक समंक संग्रहित किए गए हैं। इसके साथ इंटरनेट की साइटों के द्वारा भी द्वितीयक समंक संग्रहित किये गये हैं।

परिणाम

प्रस्तुत शोध कार्य के अध्ययन के पश्चात् निम्न परिणामों को प्राप्त किया गया है:

प्रस्तुत शोध कार्य में व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करके ग्रामीण वासियों से यह पता लगाने का प्रयास किया कि उन्हें रोजगार संवर्द्धन योजना की जानकारी है कि नहीं। प्रस्तुत शोध कार्य से यह पता चला कि ग्रामीण वासियों में 60 प्रतिशत ग्रामीण वासियों को रोजगार संवर्द्धन योजना की जानकारी है! तथा 40 प्रतिशत ग्रामीण वासियों को रोजगार संवर्द्धन योजना की जानकारी नहीं है।

प्रस्तुत शोध से हमें यह पता चला कि रोजगार संवर्द्धन योजना का लाभ रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों द्वारा लिया जा रहा है। व्यक्तिगत साक्षात्कार से यह पता चला कि इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग 10 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग 20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति 30 प्रतिशत, तथा 10 प्रतिशत अन्य वर्गों के लोग ले रहे हैं।

प्रस्तुत शोध से यह हमें यह पता चला कि रोजगार संवर्द्धन योजनाओं से रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों को आर्थिक लाभ केवल 40 प्रतिशत लोगों को ही हुआ है।

प्रस्तुत शोध से यह प्राप्त हुआ है कि रीवा जिले के गाँवों का विकास प्रगति की राह पर है।

प्रस्तुत शोध से यह पता चला कि रोजगार संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए ऋण लेने में 70 प्रतिशत हितग्राहियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सुझाव

प्रस्तुत शोध कार्य में सुझाव के रूप में यह कहा जा सकता है कि सरकार को रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का प्रचार-प्रसार तीव्र गति से करना चाहिए ताकि ग्रामीण वासियों को योजना की जानकारी हो सके। साथ ही सरकार को ऋण प्रदान करने की नीतियों में भी परिवर्तन लाना चाहिए जिससे हितग्राहियों को आसानी से ऋण प्राप्त हो सके। तथा सरकार को यह भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी हितग्राही योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि रीवा जिले के गाँवों का विकास हो सके।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास में रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार संवर्द्धन योजनाओं से ग्रामीण वासियों को रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होता है। इस आर्थिक लाभ के कारण ग्रामीण वासियों का आर्थिक विकास भी होता है साथ ही उनका जीवन स्तर में सुधार होता है। जिससे ग्रामीण वासियों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार होता है। इन योजनाओं के कारण ग्रामीण वासियों की परिवारिक स्थिति में भी तथा शैक्षणिक, धार्मिक स्थिति आदि में परिवर्तन होते हैं।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि रोजगार संवर्द्धन योजनाओं का रीवा जिला के ग्रामीण विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान संभव है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कल्याणकारी योजनाएँ एवं विकास कार्यक्रम, पत्रिका पुणेकर पब्लिकेशन इन्दौर (2019)।
2. त्यागी, सुरेन्द्र – पंचायती राज और ग्रामीण विकास, वंदना पब्लिकेशन।
3. मीना, डॉ० जनक सिंह – ग्रामीण विकास के विविध आयाम, ज्ञान पब्लिकेशन दिल्ली।
4. अग्रवाल एण्ड पाण्डेय – सामाजिक शोध, आगरा बुक डिपो (1989)।
5. श्रीवास्तव, ओ०एस० – म०प्र. का आर्थिक विकास, म०प्र० हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल (1988)।
6. प्रताप शंभु “ग्राम विकास योजना एवं प्रबंध ”
7. प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका।
8. योजना मासिक पत्रिका योजना भवन नई दिल्ली (2017)।
9. जिला पंचायत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा की वार्षिक प्रतिवेदन
10. www.swarojgar.in
11. www.governmentschemeindia.in
12. www.shodhganga.com

